न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 67/2021

शीर्षक

1.मीरा देवी पत्नी बल्लभराम, जाति बलाई, उम्र–व्यस्क, निवासी लखेर, तह0 आमेर, जिला जयपुर (राज0)

वादीया

बनाम

1. कंचन पुत्री रामजीलाल
2. नवीन पुत्र रामजीलाल
3. राकेश पुत्र रामजीलाल
4. ललिता पुत्री रामजीलाल
   समस्त जाति खटीक, निवासी मनोहरपुर, तह0 शाहपुरा जयपुर (राज0)
5. राजस्थान सरकार (भू–धारक जरिये तहसीलदार) तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 2|2|2022

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आ.ख.न. 1247/0.59 है0 कुल किता 01 रकबा 0.59 है0 वाके ग्राम मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। जिसके वादीया व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदारी दर्ज है।

2. यह कि आराजी मुतनाजा का आज तक वैधानिक बंटवारा नहीं हुआ है, जबकि खातेदार शामलाती में ही काश्त करते आये है।

3. यह कि प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 4 बाजोर धनी व लडाकु किस्म के खूंखार लठैत एवं संख्या बल वाले व्यक्ति है। जिन्होने वादीगण के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना रखा है जिसके चलते आये दिन सींव, डोल, सीमा विवाद करते रहते है, तथा वादीगण के साथ रास्ता व आवागमन में बाधा उत्पन्न करते है जिस कारण शामलाती में काश्त करना संभव नहीं रहा है।

4. यह कि दिनांक 01.07.2021 को वादीगण अपनी आराजी की देखरेख कर रहा था कि प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 एक राय होकर आये तथा वादीगण की सींव को फावडा लेकर काटने लगे तथा वादीगण की आराजी में जाने का रास्ता भी अवरूद्ध कर दिया जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 को टोका तो वादीगण के साथ आमादा फिसाद हो गये तथा आसपास के लोग एकत्रित हो गये तथा उनकी समझाईश से उस वक्त तो मान गये परन्तु जाते जाते एलानियां धमकी देकर गये कि हम उक्त भूमि का कानूनी बंटवारा नहीं होने देगे तथा काश्त हेतु भी आराजी में नहीं जाने देगे तथा रास्ता पूर्ण रूप से अवरूद्ध करके रहेगे तथा कानूनी बंटवारा हेतु साफ तौर से इंकारी हो गये इस कारण वादीगण को अपनी विधिक अधिकारो की सुरक्षार्थ न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद पत्र पेश करना अति आवश्यक हुआ है।

5. अन्त में निवेदन किया कि हाल आ0ख0नं0 1247/0.59 है0 कुल किता 01 रकबा 0.59 है0 वाके ग्राम मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार आराजी मुतनाजा का वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व नियमों के मुताबिक मौका पर कब्जा काश्त के मुताबिक राजस्व नियमावली को मध्य नजर रखते हुये कानूनी बंटवारा किया जावे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे ।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं है दिनांक 28.09.2021 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी वकील वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद में प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट मंगवाई गई। दिनांक 29.12.2021 को तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रकरण में वकील वादीया द्वारा बंटवारा रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। बंटवारा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। हॉल जमाबंदी में दर्ज सभी खातेदारो को अपने अपने हिस्से अनुसार भूमि दी गई है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

अतः बंटवारा रिपोर्ट तहसीलदार तहसील शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। आ0ख0नं0 1247/0.59 है0 कुल किता 01 रकबा 0.59 है0 वाके ग्राम मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. **मीरा देवी पत्नी बल्लभराम जाति बलाई, निवासी लखेर, तहसील आमेर के आ0ख0नं0 1247/0.2950 है0 कुल किता 01 रकबा 0.2950 है0 वाके ग्राम मनोहरपुर भूमि हिस्से में रहेगी।**
2. **राकेश, नवीन पिसरान रामजीलाल हिस्सा 5/6, कंचन, ललिता पुत्रीयां रामजीलाल हिस्सा 1/6 जाति खटीक साखिनदेह खातेदार के आ0ख0नं0 1247/0.2950 है0 कुल किता 01 रकबा 0.2950 है0 वाकै ग्राम मनोहरपुर भूमि हिस्से में रहेगी।**

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीया /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 2/2/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 67/2021

शीर्षक

1. मीरा देवी पत्नी बल्लभराम, जाति बलाई, उम्र–व्यस्क, निवासी लखेर, तह0 आमेर, जिला जयपुर (राज0)

वादीया

बनाम

1. कंचन पुत्री रामजीलाल
2. नवीन पुत्र रामजीलाल
3. राकेश पुत्र रामजीलाल
4. ललिता पुत्री रामजीलाल
समस्त जाति खटीक, निवासी मनोहरपुर, तह0 शाहपुरा जयपुर (राज0)
5. राजस्थान सरकार (भू–धारक जरिये तहसीलदार) तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 2/2/2022

अतः बंटवारा रिपोर्ट तहसीलदार तहसील शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। आ0ख0नं0 1247/0.59 है0 कुल किता 01 रकबा 0.59 है0 वाके ग्राम मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. **मीरा देवी पत्नी बल्लभराम जाति बलाई, निवासी लखेर, तहसील आमेर के आ0ख0नं0 1247/0.2950 है0 कुल किता 01 रकबा 0.2950 है0 वाके ग्राम मनोहरपुर भूमि हिस्से में रहेगी।**
2. **राकेश, नवीन पिसरान रामजीलाल हिस्सा 5/6, कंचन, ललिता पुत्रीयां रामजीलाल हिस्सा 1/6 जाति खटीक साखिनदेह खातेदार के आ0ख0नं0 1247/0.2950 है0 कुल किता 01 रकबा 0.2950 है0 वाकै ग्राम मनोहरपुर भूमि हिस्से में रहेगी।**

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीया /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें ।

निर्णय आज दिनांक 2/2/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर राज.

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	